संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0, लखनऊ

संयुक्त प्रवेश परीक्षा (पालीटेक्निक)–2020 की काउन्सिलिंग प्रक्रिया हेतु अभ्यर्थियों के लिए विस्तृत निर्देश एवं समय–सारिणी

संयुक्त प्रवेश परीक्षा–2020 के परिणाम के आधार पर अभ्यर्थियों को संस्था व पाठ्यक्रम का आवंटन उनकी मेरिट, उनके द्वारा दिये गये विकल्पों व आरक्षण के आधार पर, आनलाइन काउन्सिलिंग वेबसाइट (http://jeecup.nic.in) के माध्यम से किया जायेगा। **छात्र अपनी लॉगिन आई0डी0, पासवर्ड तथा मोबाइल न0 (जो काउन्सिलिंग रजिस्ट्रेशन में दें) सुरक्षित रखें। सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं एवं ओ0टी0पी0 मोबाइल न0 पर प्रेषित होगी। छात्रो को यह सलाह दी जाती है कि काउन्सिलिंग हेतु दिये गये निर्देशों की प्रिन्ट कॉपी लेकर पूरी तरह से निर्देशो का स्वयं अध्ययन कर लें। प्रवेश पत्र, स्कोर कार्ड, रजिस्ट्रेशन फार्म, रजिस्ट्रेशन शुल्क रू0 250/– की रसीद, जमा पूर्ण शुल्क अथवा सीट एक्सेप्टेन्स शुल्क रू0 3000/– की रसीद व सीट एलाटमेन्ट लेटर, की एक–एक प्रति अपने पास अलग से सदैव सुरक्षित रखें।**

काउन्सिलिंग के लिए अभ्यर्थियों हेतु सामान्य निर्देश

1. सभी प्रक्रियाएं दिये गये काउन्सिलिंग शिड्यूल के समयान्तर्गत रहेंगी। शिड्यूल पोर्टल पर उपलब्ध है।
2. यह आनलाइन काउन्सिलिंग प्रक्रिया आठ चरणों में सम्पन्न की जायेगी।
3. अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि काउन्सिलिंग के समय उनके पास न्यूनतम शैक्षिक अर्हता का अंक पत्र व अन्य प्रमाण–पत्र मूल रूप में उपलब्ध हो, जाति, EWS आरक्षण प्रमाण पत्र (सामान्य वर्ग के लिए) एवं अन्य आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण–पत्र जो लागू हो, नवीनतम मूलरूप में उपलब्ध हो। डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन में मूल प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होगी।
4. काउन्सिलिंग में रजिस्ट्रेशन शुल्क, सम्पूर्ण शुल्क तथा सीट एक्सेप्टेन्स शुल्क अभ्यर्थियों के लॉगिन से आनलाइन ही जमा होगा।
5. **रजिस्ट्रेशन** – काउन्सिलिंग में भाग लेने के लिए अर्ह अभ्यर्थी को वेबसाइट http://jeecup.nic.in पर अपने विवरण (रोल नम्बर, एप्लीकेशन नम्बर, नाम व जन्मतिथि) देने होंगे, जिनके सही पाये जाने पर एक फार्म खुलेगा जिसमें अभ्यर्थी द्वारा अपने सम्पर्क विवरण आदि तथा नया पासवर्ड अभ्यर्थी द्वारा भरा जायेगा। अभ्यर्थी को पुनः रोल नम्बर व नये बनाये पासवर्ड के द्वारा लॉगिन कर पंजीकरण (Registration) कराना होगा। अभ्यर्थी को इस बात का वचन देना होगा कि उसके द्वारा दिये गये न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, आरक्षण (नवीनतम) व अन्य सम्बन्धित प्रमाण–पत्र के मूल अभिलेख उसके पास उपलब्ध हैं। **रजिस्ट्रेशन के समय अभ्यर्थी द्वारा परिषद से निर्धारित किसी भी जनपद के एक सहायता केन्द्र को डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन के लिए चयन करना होगा।** अभ्यर्थी के प्रवेश सम्बन्धी समस्त कार्य (प्रथम चरण से पंचम चरण तक की काउन्सिलिंग के लिए) सम्बन्धित सहायता केन्द्र के माध्यम से ही होना है, अतः इसका चुनाव अभ्यर्थी अपनी सुविधानुसार करें। अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन के समय यदि उसके जन्मतिथि, लिंग, आरक्षण वर्ग, उपवर्ग व राज्य अर्हता में त्रुटि है, तो उसे परिवर्तित कर सकता है। **राज्य अर्हता के सम्बन्ध में वेबसाइट पर उपलब्ध विवरण–पुस्तिका के पृष्ठ–4 पर अंकित बिन्दु–3 पर दिये गये विवरण को अवश्य पढ़ लें। उत्तर प्रदेश की अर्हता न रखने वाले अभ्यर्थी चतुर्थ चरण से काउन्सिलिंग के लिए पात्र होंगे।**

   रजिस्ट्रेशन के पश्चात काउन्सिलिंग फीस जमा करनी होगी। काउन्सिलिंग फीस हेतु रू0 250/– दिये गये विकल्पों यथा– नेट बैकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड अथवा बैंक चालान (आई0सी0आई0सी0आई0/एस0बी0आई0 बैंक की किसी भी शाखा में) के माध्यम से जमा करना होगा। **प्रत्येक अभ्यर्थी से काउन्सिलिंग फीस समस्त चरणों हेतु एक ही बार ली जायेगी।** काउन्सिलिंग फीस किसी भी दशा में वापस अथवा हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।
6. **च्वाइस फिलिंग एवं लॉकिंग** – जिन अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन कार्य सम्पन्न हो गया है, वह अभ्यर्थी अपनी च्वाइस फिलिंग का कार्य लॉगिन (आई0डी0 व पासवर्ड) की सहायता से करेंगे। प्रत्येक अभ्यर्थी को उसके ग्रुप तथा आरक्षण वर्ग के अनुसार संस्था व पाठ्यक्रम के विकल्प दिखेंगे, जिसमें वह अपने वरीयताक्रम के आधार पर विकल्पों का चयन कर सकता है। चयन का क्रम ऊपर से नीचे की ओर वरीयता के आधार पर माना जायेगा। अभ्यर्थी उपलब्ध विकल्पों को अपने वरीयताक्रम में शामिल करेगा। विकल्प भरने का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा विकल्पों की सूची को अपने पासवर्ड द्वारा लॉक किया जायेगा। लॉक करने के उपरान्त कोई भी विकल्प बदले नहीं जा सकते हैं।

   अभ्यर्थी के प्रथम तीन चरण में विकल्प चुनने की कोई सीमा नहीं होगी। चतुर्थ एवं पंचम चरण में केवल 10 विकल्प का चयन किया जा सकेगा तथा छठवें चरण से अन्तिम चरण तक केवल 01 विकल्प का चयन किया जा सकेगा।

7. **सीट आवंटन** – प्रत्येक चरण में निर्धारित तिथि को सीट आवंटन होगा। अभ्यर्थियों का आवंटन मेरिट, संस्था व पाठ्यक्रमों के विकल्पों, आरक्षण तथा सीटों की उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा। सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी की लॉगिन आई0डी0 पर उसका आवंटन दिया जायेगा। प्रथम एवं द्वितीय चरण के सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी को अपने लॉगिन से Freeze अथवा Float का विकल्प चुनना होगा। प्रथम एवं द्वितीय चरण के सीट आवंटन के पश्चात यदि अभ्यर्थी Float का विकल्प चुनता है तो अभ्यर्थी के लॉगिन पर Seat Acceptance Fee की लिंक प्रदर्शित हो जायेगी। अभ्यर्थी को निर्धारित तिथियों के अन्दर रू0 3000/– की Seat Acceptance Fee आनलाइन जमा करना होगा। सभी Float अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण में सीट आवंटन होने पर यदि वह Freeze का विकल्प चुनता है अथवा तृतीय चरण में सीट आवंटन के पश्चात (सभी अभ्यर्थी Freeze माने जायेंगे) अवशेष शुल्क पुनः अपने लॉगिन के माध्यम से जमा करना होगा, तभी अभ्यर्थी का प्रवेश पूर्ण माना जायेगा।

यदि अभ्यर्थी Freeze का विकल्प चुनता है तो उसे अपने चयनित सहायता केन्द्र/डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन सेन्टर पर जाकर अपने सभी मूल अभिलेखों का सत्यापन कराना होगा। अभिलेखों के सत्यापन के तुरन्त बाद अभ्यर्थी के लॉगिन पर चयनित पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित सम्पूर्ण शुल्क आनलाइन जमा करना होगा। जमा किये जाने वाले शुल्क की धनराशि लिंक पर प्रदर्शित होगी। शुल्क दिये गये विकल्पों यथा– नेट बैकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड अथवा बैंक चालान (आई0सी0आई0सी0आई0 /एस0बी0आई0 बैंक की किसी भी शाखा में) के माध्यम से प्रत्येक चरण हेतु निर्धारित तिथि एवं समय तक जमा करना होगा। अन्यथा की स्थिति में उसको आवंटित सीट निरस्त हो जायेगी और वह तृतीय चरण तक की काउन्सिलिंग में भाग नहीं ले सकेगा। तृतीय चरण में सभी अभ्यर्थी स्वतः ही Freeze माने जायेंगे। तृतीय चरण के आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी को सहायता केन्द्र पर उपस्थित होकर डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन कराकर निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा।

चतुर्थ चरण से अन्तिम चरण तक के सभी अभ्यर्थी का सीट आवंटन उ0प्र0 सरकार द्वारा जारी आदेशानुसार अनारक्षित वर्ग में होगा एवं अभ्यर्थी का सीट आवंटन अन्तिम होगा। अतः चतुर्थ चरण से अन्तिम चरण तक आवंटन के पश्चात डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात अभ्यर्थी के लॉगिन पर प्रदर्शित लिंक के माध्यम से शुल्क आनलाइन जमा करना होगा।

8. **डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन** – प्रथम चरण से पंचम चरण तक अभ्यर्थियों को सीट आवंटन के पश्चात अभिलेखों के सत्यापन के लिए उनके द्वारा चयनित सहायता केन्द्रों पर निर्धारित अवधि में स्वयं सभी मूल अभिलेखों तथा इसकी स्वःप्रमाणित छायाप्रति तथा दो फोटोग्राफ के साथ उपस्थित होना होगा। **छठवें चरण से अन्तिम चरण तक अभिलेखों का सत्यापन आवंटित संस्था में जाकर निर्धारित अवधि में अभ्यर्थियों द्वारा कराया जायेगा। सहायता केन्द्र केवल पांचवे चरण तक की काउन्सिलिंग तक ही कार्य करेंगे।**

डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन के समय यदि अभ्यर्थी के प्रमाण–पत्रों में कमी पायी जाती है तो निम्न प्रकार के नियमों के अनुसार सहायता केन्द्र प्रभारी/काउन्सलर द्वारा निर्णय लिये जायेंगे।

1. **यदि कमी इस प्रकार की है, जिसका निराकरण सम्भव नहीं है,** यथा– शैक्षिक योग्यता, आयु (01.07.2020 को न्यूनतम 14 वर्ष), तो अभ्यर्थी को आवंटित सीट निरस्त हो जायेगी तथा अभ्यर्थी सम्पूर्ण काउन्सिलिंग प्रक्रिया से इस वर्ष के लिए बाहर हो जायेगा।
2. **यदि कमी इस तरह की है, जिससे अभ्यर्थी के आवंटित सीट पर प्रभाव पड़ता है** यदि अभ्यर्थी को किसी आरक्षण वर्ग के अन्तर्गत निर्धारित उपवर्ग (MP, FF, PH) से सीट आवंटित होती है, परन्तु अभ्यर्थी के पास आरक्षण (वर्ग/उपवर्ग) का प्रमाण–पत्र नहीं है तो उसके आरक्षण वर्ग/उपवर्ग को निम्नानुसार अभ्यर्थी की लिखित सहमति से परिवर्तित कर दिया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी अगले चरण की काउन्सिलिंग के लिए पात्र होगा, परन्तु अभ्यर्थी का आवंटन उस चरण में निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसे अगले चरण में बदले हुए आरक्षण वर्ग/उपवर्ग के अनुसार काउन्सिलिंग हेतु अर्ह माना जायेगा।

SC/ST – MP/FF/PH	→	**SC/ST**	→	**GENERAL**
OBC-NCL – MP/FF/PH	→	**OBC-NCL**	→	**GENERAL**
GEN EWS – MP/FF/PH	→	**GEN EWS**	→	**GENERAL**
GEN EWS – MP/FF/PH	→			**GENERAL**

किसी भी अभ्यर्थी का सामान्य वर्ग से आरक्षण वर्ग में तथा आरक्षित वर्ग से अनारक्षित उपवर्ग में परिवर्तन सम्भव नहीं है। Domicile Status उत्तर प्रदेश से अन्य राज्य में परिवर्तित किये जाने पर अभ्यर्थी काउन्सिलिंग के चरण–1, 2 व 3 से बाहर हो जायेगा, परन्तु चरण–4 से पुनः अर्ह हो जायेगा।

9. **प्रोवीजनल एडमिशन लेटर** – शुल्क जमा करने के पश्चात अपना प्रोवीजनल एडमिशन लेटर डाउनलोड कर अपने पास सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थियों का आनलाइन प्रवेश पूर्णतया अस्थायी है। प्रवेशित संस्था में अभ्यर्थी निर्धारित तिथि (जिसकी घोषणा बाद में की जायेगी) को उपस्थित होंगे। संस्था में मूल अभिलेखों की पुनः जांच होगी। यदि कोई अभ्यर्थी अपात्र पाया जाता है तो संस्था में उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी के द्वारा परीक्षा शुल्क, बीमा शुल्क, छात्रावास शुल्क तथा अन्य शुल्क (में जो अन्तर हो) जमा करना होगा।

अभ्यर्थियों हेतु विशेष निर्देश :

1. प्रथम चरण में अभ्यर्थी के द्वारा यदि सीट आवंटन के पश्चात सम्पूर्ण प्रक्रिया निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं की जाती है तो वह द्वितीय व तृतीय चरण की काउन्सिलिंग से बाहर कर दिया जायेगा। इसी प्रकार द्वितीय चरण में आवंटन के पश्चात सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा वह तृतीय चरण तक की काउन्सिलिंग में भाग नहीं ले सकेगा। ऐसे सभी अभ्यर्थी चतुर्थ चरण की काउन्सिलिंग में पुनः भाग ले सकेंगे। चतुर्थ चरण से अगले सभी चरणों तक सीट आवंटन के पश्चात यदि अभ्यर्थी प्रवेश की प्रक्रिया पूरी कर निर्धारित शुल्क ससमय नहीं जमा करता है तो वह अन्तिम चरण तक की काउन्सिलिंग से बाहर हो जायेगा। **अतः अभ्यर्थियों को यह विशेष निर्देश दिये जाते हैं कि वह अपने विकल्प सावधानीपूर्वक भरें और निर्धारित समय पर शुल्क अवश्य जमा कर दें।**
2. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के ऐसे अभ्यर्थी जोकि शुल्क प्रतिपूर्ति/छात्रवृत्ति हेतु पात्र हैं और उनके माता–पिता की आय रू0 दो लाख तक है, यदि उनका प्रवेश राजकीय तथा अनुदानित संस्था में हुआ है (स्ववित्त पोषित सीटों को छोड़कर) तो उन्हें मात्र रू0 3000/– जमा करना होगा। ऐसे अभ्यर्थी संस्था में उपस्थित होने पर यदि शुल्क प्रतिपूर्ति/छात्रवृत्ति हेतु पात्र नहीं पाये जाते हैं तो अवशेष शुल्क वे संस्था में जमा करेंगे।
3. प्रथम तीन चरण में प्रवेशित अभ्यर्थी जोकि पूर्ण शुल्क आनलाइन जमा कर चुके हों, यदि वे चाहें तो अपना प्रवेश निरस्त करने हेतु अपने लॉगिन के माध्यम से विकल्प दे सकते हैं। इस स्थित में उनकी सीट निरस्त करके उस सीट को अगले चरण की काउन्सिलिंग में सम्मिलित कर लिया जायेगा एवं अभ्यर्थी को शुल्क आनलाइन उसी खाते में जिस खाते से शुल्क जमा की गई थी, वापस कर दिया जायेगा।

प्रथम चरण से तृतीय चरण तक की काउन्सिलिंग प्रक्रिया

प्रथम चरण से तृतीय चरण तक की काउन्सिलिंग के लिए केवल उत्तर प्रदेश की अर्हता रखने वाले, संयुक्त प्रवेश परीक्षा–2020 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही पात्र होंगे।

प्रथम चरण : दिनांक 30.09.2020 से प्रारम्भ –

क्र0	प्रथम चरण हेतु काउन्सिलिंग प्रक्रियाएं	निर्धारित अवधि
1.	सभी पात्र अभ्यर्थियों द्वारा आनलाइन रजिस्ट्रेशन कर शुल्क जमा करना	दिनांक 30.09.2020 से 04.10.2020 तक
2.	च्वाइस फिलिंग एवं लॉकिंग	दिनांक 02.10.2020 से 05.10.2020 तक
3.	सीट आवंटन	दिनांक 06.10.2020
4.	अभ्यर्थियों द्वारा आनलाइन Freeze/Float विकल्प का चयन करना	दिनांक 06.10.2020 से 11.10.2020 (सायं 5:00 बजे तक)
5.	Float अभ्यर्थियों द्वारा रू0 3000/– सिक्योरिटी फीस आनलाइन जमा करना	दिनांक 06.10.2020 से 12.10.2020 तक
6.	Freeze विकल्प वाले अभ्यर्थियों द्वारा सहायता केन्द्र पर जाकर डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन कराना	दिनांक 06.10.2020 से 11.10.2020 (सायं 5:00 बजे तक)
7.	Freeze विकल्प वाले अभ्यर्थियों द्वारा सम्पूर्ण शुल्क आनलाइन जमा करना	दिनांक 06.10.2020 से 12.10.2020 तक

द्वितीय चरण : दिनांक 08.10.2020 से प्रारम्भ –

क्र0	द्वितीय चरण हेतु काउन्सिलिंग प्रक्रियाएं	निर्धारित अवधि
1.	सभी पात्र नये अभ्यर्थियों द्वारा आनलाइन रजिस्ट्रेशन कर शुल्क जमा करना	दिनांक 08.10.2020 से 12.10.2020 तक
2.	च्वाइस फिलिंग एवं लॉकिंग। प्रथम चरण के Float अभ्यर्थी अपना विकल्प परिवर्तित कर सकते हैं	दिनांक 08.10.2020 से 12.10.2020 तक
3.	सीट आवंटन	दिनांक 13.10.2020
4.	अभ्यर्थियों द्वारा आनलाइन Freeze/Float विकल्प का चयन करना	दिनांक 13.10.2020 से 15.10.2020 (सायं 5:00 बजे तक)
5.	Float अभ्यर्थियों द्वारा रू0 3000/– सिक्योरिटी फीस आनलाइन जमा करना	दिनांक 13.10.2020 से 16.10.2020 तक
6.	Freeze विकल्प वाले अभ्यर्थियों द्वारा सहायता केन्द्र पर जाकर डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन कराना	दिनांक 13.10.2020 से 15.10.2020 (सायं 5:00 बजे तक)
7.	Freeze विकल्प वाले अभ्यर्थियों द्वारा सम्पूर्ण शुल्क आनलाइन जमा करना	दिनांक 13.10.2020 से 16.10.2020 तक

तृतीय चरण : दिनांक 14.10.2020 से प्रारम्भ –

क्र0	तृतीय चरण हेतु काउन्सिलिंग प्रक्रियाएं	निर्धारित अवधि
1.	सभी पात्र नये अभ्यर्थियों द्वारा आनलाइन रजिस्ट्रेशन कर शुल्क जमा करना	दिनांक 14.10.2020 से 16.10.2020 तक
2.	च्वाइस फिलिंग एवं लॉकिंग	दिनांक 14.10.2020 से 16.10.2020 तक
3.	सीट आवंटन	दिनांक 17.10.2020
4.	सभी अभ्यर्थी तृतीय चरण में Freeze माने जायेंगे। अतः सभी आवंटित अभ्यर्थियों द्वारा सहायता केन्द्र पर जाकर डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन कराना	दिनांक 17.10.2020 से 19.10.2020 (सायं 5:00 बजे तक)
5.	सभी आवंटित अभ्यर्थियों द्वारा डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन के पश्चात सम्पूर्ण अथवा अवशेष शुल्क आनलाइन जमा करना	दिनांक 17.10.2020 से 20.10.2020 तक

चतुर्थ चरण एवं पंचम चरण तक की काउन्सिलिंग प्रक्रिया

चतुर्थ एवं पंचम चरण की काउन्सिलिंग में केवल संयुक्त प्रवेश परीक्षा–2020 में उत्तीर्ण (तृतीय चरण तक जिनका प्रवेश न हुआ हो) एवं अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी तथा उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर (**Other State**) के सभी अभ्यर्थी जो प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित है, पात्र होंगे। इन दोनों चरणों में अभ्यर्थी केवल 10–10 विकल्प भर सकते हैं। अभ्यर्थी को आवंटित सीट पर प्रवेश लेना अनिवार्य है, अन्यथा वह अन्तिम चरण तक की काउन्सिलिंग प्रक्रिया से बाहर हो जायेगा। अतः अभ्यर्थी अपने वही विकल्प वरीयताक्रम में भरें, जिसमें वह प्रवेश लेने हेतु इच्छुक हों।

चतुर्थ चरण : दिनांक 21.10.2020 से प्रारम्भ –

क्र0	चतुर्थ चरण हेतु काउन्सिलिंग प्रक्रियाएं	निर्धारित अवधि
1.	सभी पात्र नये अभ्यर्थी आनलाइन रजिस्ट्रेशन कर शुल्क जमा करना तथा पूर्व में तीन चरणो तक पंजीकृत परन्तु अप्रवेशित अभ्यर्थियों का निःशुल्क पुनः रजिस्ट्रेशन	दिनांक 21.10.2020 से 22.10.2020 तक
2.	च्वाइस फिलिंग एवं लॉकिंग	दिनांक 21.10.2020 से 22.10.2020 तक
3.	सीट आवंटन	दिनांक 23.10.2020
4.	सभी आवंटित अभ्यर्थियों द्वारा सहायता केन्द्र पर जाकर डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन कराना	दिनांक 23.10.2020 से 25.10.2020 (सायं 5:00 बजे तक)
5.	सभी आवंटित अभ्यर्थियों द्वारा डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन के पश्चात निर्धारित शुल्क आनलाइन जमा करना	दिनांक 23.10.2020 से 26.10.2020 तक

पंचम चरण : दिनांक 24.10.2020 से प्रारम्भ –

क्रं0	पंचम चरण हेतु काउन्सिलिंग प्रक्रियाएं	निर्धारित अवधि
1.	सभी पात्र नये अभ्यर्थी आनलाइन रजिस्ट्रेशन कर शुल्क जमा करना तथा पूर्व में पंजीकृत परन्तु अप्रवेशित/सीट आवंटन न होने वाले अभ्यर्थियों का निःशुल्क पुनः रजिस्ट्रेशन	दिनांक 24.10.2020 से 26.10.2020 तक
2.	च्वाइस फिलिंग एवं लॉकिंग	दिनांक 24.10.2020 से 26.10.2020 तक
3.	सीट आवंटन	दिनांक 27.10.2020
4.	सभी आवंटित अभ्यर्थियों द्वारा सहायता केन्द्र पर जाकर डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन कराना	दिनांक 27.10.2020 से 29.10.2020 (सायं 5:00 बजे तक)
5.	सभी आवंटित अभ्यर्थियों द्वारा डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन के पश्चात निर्धारित शुल्क आनलाइन जमा करना	दिनांक 27.10.2020 से 30.10.2020 तक

छठे चरण से आठवें/अन्तिम चरण तक की काउन्सिलिंग प्रक्रिया

इस चरण में संयुक्त प्रवेश परीक्षा (पालीटेक्निक)–2020 में सम्मिलित ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्हें पंचम चरण तक सीट आवंटित नहीं हुई है। ऐसे अभ्यर्थी राजकीय, अनुदानित अथवा निजी क्षेत्र की पालीटेक्निकों की रिक्त सीटों के विरूद्ध प्रवेश के लिए पात्र होंगे। छठे चरण से उन अभ्यर्थियों को भी प्रवेश का अवसर प्राप्त होगा, जोकि संयुक्त प्रवेश परीक्षा–2020 में सम्मिलित नहीं हुए हैं। ऐसे अभ्यर्थी केवल अनुदानित एवं निजी क्षेत्र की संस्थाओं में रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए पात्र होंगे और इन अभ्यर्थियों का काउन्सिलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन दिनांक 21.10.2020 से प्रारम्भ होगा। छठे से अन्तिम चरण तक अभ्यर्थियों हेतु केवल 01 विकल्प उपलब्ध होगा। अभ्यर्थी को आवंटित सीट पर प्रवेश लेना अनिवार्य है, अन्यथा वह अन्तिम चरण तक की काउन्सिलिंग प्रक्रिया से बाहर हो जायेगा। अतः अभ्यर्थी अपने वही विकल्प वरीयताक्रम में भरें, जिसमें वह प्रवेश लेने हेतु इच्छुक हों।

छठे चरण से अन्तिम चरण तक अभ्यर्थियों को सीट आवंटन के पश्चात आवंटित संस्था में जाकर डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन कराना होगा।

छठा चरण : प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों हेतु दिनांक 31.10.2020 से एवं प्रवेश परीक्षा में नहीं सम्मिलित अभ्यर्थियों हेतु दिनांक 21.10.2020 से प्रारम्भ –

क्रं0	छठे चरण हेतु काउन्सिलिंग प्रक्रियाएं	निर्धारित अवधि
1.	सभी पात्र नये अभ्यर्थी आनलाइन रजिस्ट्रेशन कर शुल्क जमा करना	दिनांक 21.10.2020 से 31.10.2020 तक
	पूर्व में पंजीकृत परन्तु अप्रवेशित/आवंटन प्राप्त न करने वाले अभ्यर्थियों का निःशुल्क पुनः रजिस्ट्रेशन	31.10.2020
2.	च्वाइस फिलिंग एवं लॉकिंग (केवल 01 विकल्प उपलब्ध)	दिनांक 31.10.2020 से 02.11.2020 तक
3.	सीट आवंटन	दिनांक 03.11.2020
4.	सभी आवंटित अभ्यर्थियों द्वारा आवंटित संस्थान पर जाकर डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन कराना	दिनांक 03.11.2020 से 06.11.2020 (सायं 5:00 बजे तक)
5.	सभी आवंटित अभ्यर्थियों द्वारा डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन के पश्चात निर्धारित शुल्क आनलाइन जमा करना	दिनांक 03.11.2020 से 06.11.2020 तक (रात्रि 12:00 बजे तक)

सातवां चरण : दिनांक 07.11.2020 से प्रारम्भ – (ए0आई0सी0टी0ई0 के निर्देशानुसार परिवर्तन की सम्भावना)

क्रं0	सातवें चरण हेतु काउन्सिलिंग प्रक्रियाएं	निर्धारित अवधि
1.	सभी पात्र नये अभ्यर्थी आनलाइन रजिस्ट्रेशन कर शुल्क जमा करना तथा पूर्व में पंजीकृत परन्तु अप्रवेशित/आवंटन प्राप्त न करने वाले अभ्यर्थियों का निःशुल्क पुनः रजिस्ट्रेशन	दिनांक 07.11.2020 से 08.11.2020 तक
2.	च्वाइस फिलिंग एवं लॉकिंग (केवल 01 विकल्प उपलब्ध)	दिनांक 07.11.2020 से 08.11.2020 तक
3.	सीट आवंटन	दिनांक 09.11.2020
4.	सभी आवंटित अभ्यर्थियों द्वारा आवंटित संस्थान पर जाकर डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन कराना	दिनांक 09.11.2020 से 11.11.2020 (सायं 5:00 बजे तक)
5.	सभी आवंटित अभ्यर्थियों द्वारा डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन के पश्चात निर्धारित शुल्क आनलाइन जमा करना	दिनांक 09.11.2020 से 11.11.2020 तक (रात्रि 12:00 बजे तक)

आठवां चरण : दिनांक 12.11.2020 से प्रारम्भ – (ए0आई0सी0टी0ई0 के निर्देशानुसार परिवर्तन की सम्भावना)

क्रं0	आठवां चरण हेतु काउन्सिलिंग प्रक्रियाएं	निर्धारित अवधि
1.	सभी पात्र नये अभ्यर्थी आनलाइन रजिस्ट्रेशन कर शुल्क जमा करना तथा पूर्व में पंजीकृत परन्तु अप्रवेशित/आवंटन प्राप्त न करने वाले अभ्यर्थियों का निःशुल्क पुनः रजिस्ट्रेशन	दिनांक 12.11.2020 से 13.11.2020 तक
2.	च्वाइस फिलिंग एवं लॉकिंग (केवल 01 विकल्प उपलब्ध)	दिनांक 12.11.2020 से 13.11.2020 तक
3.	सीट आवंटन	दिनांक 14.11.2020
4.	सभी आवंटित अभ्यर्थियों द्वारा आवंटित संस्थान पर जाकर डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन कराना	दिनांक 15.11.2020 (सायं 5:00 बजे तक)
5.	सभी आवंटित अभ्यर्थियों द्वारा डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन के पश्चात निर्धारित शुल्क आनलाइन जमा करना	दिनांक 15.11.2020 (रात्रि 12:00 बजे तक)

(एस0के0 वैश्य)
सचिव